REGULATION NO. 109

(EC 26-3-2002)

Late Shri KISHOR RAO SAHEB DESHMUKH MEMORIAL GOLD MEDAL

[illegible] of [illegible] the examinees [illegible]
Political Science. [illegible] Council

DONOR .. .. SMT.KAMAL RAO SAHEB DESHMUKH
SAI NAGAR, JAIL ROAD RAIPUR
(C.G.)

VALUE OF ENDOWMENT AWARD .. Rs. 25,000/-
(Rs.Twenty Five Thousand only)
ONE GOLD MEDAL.

1/ The endowment shall be called " Late Shri Kishor Rao Saheb Deshmukh "Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.

2/ The net income accruing from the endowment every year shall be utilized for the award of a "Gold Medal" at the Annual Convocation of the University to the examinees,who secures the Highest Marks in the University amongst the examinees placed in the "First Division in POLITICAL SCIENCE" M.A. [illegible] Examination of the year.

3/ In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provision of para-2, each of them shall be awarded " Gold Medal."

4/ The "Gold Medal" shall be awarded to the candidate(s) from the year 2003, every year regularly.

.....

Pt.Ravishankar Shukla University Raipur (CG)

Endt.No.3330/Acad/2002, Raipur, dated the 23 Sept 2002.

Copy for information, and necessary action forwarded to-

1/ The Donor,
2/ All the Sections of the University
3/ Secretary to Kulpati/P.A.to Registrar, Pt.Ravishankar Shukla University,Raipur.

EC-D/ 26-3-02

[signature] 20/9/02
(A. MINJ)
REGISTRAR

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

Regulation No. 10

Rules and regulations for management of courses run under Self Financing Scheme

1. ADMINISTRATIVE COUNCIL:

There shall be an Administrative Council Consisting of –

(i) Vice Chancellor (Chairman)
(ii) Registrar
(iii) Professor-in-Charge and or Head/ Director/ Coordinator of the Programme – Member Secretary
(iv) Professor-in-Charge of any other Self-Financing Scheme Course.

All administrative matters concerning the programme shall be considered by the Administrative Council and decisions taken on routine matters shall be implemented by the Professor-in-Charge/ Head/ Director/ Coordinator. Any modification on policy matters requires approval of the Executive Council before its implementation.

INTER ALIA: The Administrative Council shall have the following powers and duties:

(a) Make periodical review of the activities of the programme and if necessary, make suitable recommendations to the Executive Council.
(b) Creation of part time teaching and ministerial posts and fix the remuneration payable to them.
(c) Consideration and approval of the annual Budget, accounts, etc.
(d) Re-appropriation of funds from one head of account to another within the same grant, after taking approval from the Vice Chancellor.
(e) Fix various fees recoverable from the students.
(f) On the recommendation of Professor-in-Charge the services of a part time accountant shall be created, if need be.

The Administrative Council shall meet once in four months and at least two meetings shall be held in a Calendar Year.

FINANCE COMMITTEE:

There shall be a finance committee consisting of following members:

(i) Professor-in-Charge and or Head/ Director/ Coordinator – Chairman
(ii) One member nominated by the Vice-Chancellor not below the rank of Reader
(iii) Finance Officer
(iv) One senior member from the SOS/ Institute.

FUNCTIONS OF THE COMMITTEE:

(a) To prepare the annual budget of the programme for onward submission to the Administrative Council. Administrative Council will send it to the Executive Council for Approval.

(b) To consider annual audited accounts and forward the same to the Administrative Council and finally report to the appropriate body of the University.
(c) To ensure maintenance of proper accounts and regulate expenditure as per financial rules and procedures of the University.
(d) Investment of surplus funds.
(e) Give final sanction for expenditure on proposals within its financial powers or make recommendations to the competent authority if it is beyond its power.
(f) Give its view and make recommendations on any proposal of the Professor-in-Charge on any financial question affecting the programme.
(g) To do all such other things incidental or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the programme.

The committee shall meet as occasion demands and three members will form the quorum.

3. FUNCTIONS OF THE PROFESSOR-IN-CHARGE/ HEAD/ DIRECTOR/ COORDINATOR

(a) The Professor-in-Charge/ Head/ Director/ Coordinator shall be the academic and Executive Officer of the Programme and shall be responsible for the proper administration of the programme and for imparting of instructions and maintenance of discipline and shall perform such other duties as may be delegated to him by the Administrative Council and Vice-Chancellor of the University.
(b) He shall be responsible for the safe custody of the funds and while incurring expenditure shall ensure observance of financial norms and limitations.
(c) He shall maintain proper account and other relevant records and shall be responsible for preparation of annual accounts and balance sheet and certification by audit.
(d) He shall prepare annual budget estimates and submit the same to the Finance Committee/ Administrative Council for approval.
(e) He shall prepare annual progress report of the programme and present the same to the proper authorities for consideration and adoption.
(f) He shall have the power to issue appointment orders to the posts of part time lecturers and other ministerial staff after obtaining approval of the Vice-Chancellor.
(g) He shall exercise all such financial powers as may be delegated to him by Vice-Chancellor.

4. FUNDS

(a) All income from self-financing courses shall be deposited in the Bank in the account opened for the purpose in the name of S.O.S. Out of income of self-financing course; the S.O.S. shall be empowered to spend up to 80% of the income. 20% share of the University and the saving out of 80% shall be kept in F.D. in SOS. The University may utilize this fund for development of the SOS.

(b) The controlling officer for self financing courses shall be Director or Head of the Institute/ School of Studies concerned or a course coordinator assigned for this job by the Director or Head (hereinafter words referred as H.O.D.) with prior sanction of the competent authority.

(c) (i) A separate account will be maintained by the Institute or the School concerned for all self-financing courses.

(ii) A separate Bank account will be opened by the Institute/ School, in the name of the Institute with power of withdrawals or closing by the H.O.D. or coordinator as directed by the Registrar. For a cheque up to Rs. 5000=00 the signature of the Course Coordinator/ Head or Director will suffice. For cheques of higher amount, two signatures will be necessary for withdrawals, the Head/ the Director or the Coordinator and the Registrar.

5. UTILIZATION OF FUND & MAINTENANCE OF ACCOUNTS

For purchase of an item, the Financial Regulation 108 shall apply. The exercise of financial powers will be as per financial regulation 108. The account of self-financing courses shall be maintained by SOS under the following heads.

	Income Clarification Amount		Expenditure Clarification Amount
I.	RECURRING		RECURRING
1.	(a) Income from Forms and Prospectus Fees.	1.	Pay and allowance and honorariums to part time staff and engaged visiting faculty
	(b) Entrance Test Fees.	2.	Contingent expenses like:
2	(a) Caution Money/ other deposits like security.	(i)	Kit, bag, Teaching Material including consumables.
	(b) Capital Fees:	(ii)	Printing and Stationery, Xeroxing
3	(a) Tuition Fees.	(iii)	Transport, field work, TA, DA, field coolie, labour, accommodation charges during field work
	(b) Teaching materials fee course and book disbursement fees.	(iv)	Medals and Prizes
	(c) Library Fees.	(v)	Advertisement
	(d) Cultural Fees.	(vi)	Hospitality charges

(e) Visiting faculty fees.
(f) Development fees.
(g) Computer media and laboratory use fees.
(h) University composite fees.

4. Miscellaneous Fees.

II NON RECURRING:

1 Income from consultancy charges, etc.

2 Income from sale of equipment, furniture, software, stock, etc.

3 (a) Sponsorship charges.
(b) Donation

(vii) Miscellaneous expenditure
(viii) Maintenance of vehicle (POL, Repairs)

IV NON RECURRING:

1 (a) Building

(b) Equipment

(c) Books
(d) Furniture
(e) Vehicle
(f) Payment against consultancies
(g) Contribution to University.

(6) For the self-financing courses the following books and registers shall be maintained separately by the H.O.D.:

(A) (i) Receipt Books
(iii) Fees Register to keep record of all Income from fees.
(iv) Other than fees income Register.

(B) (i) Advance Register.
(ii) Faculty Remuneration payment register.
(iii) Consumable items Stock Register.
(iv) Register for payments to supporting and supervisory staff.
(v) Dead stock (non-consumable items) Register.
(vi) Security Deposit Register
(vii) Caution Money Register
(viii) Cash Book
(ix) Ledger
(x) Imprest Cash Book.

7. All vouchers should be kept in a guard file. Class attendance Register will be maintained for verification of visiting faculty payments and the courses taught the detailed titles or syllabus will be maintained for assessment from a single source of the overall features or activities of the different courses of self financing courses undertaken by the SOS in the various academic years.

8. All income form refundable deposits shall be kept in the Department and a separate account will be maintained for the purpose. The Head of the Department shall be the competent authority to refund such deposits.

9. REMUNERATION FOR VARIOUS ITEMS OF WORK:

The scale of remuneration to visiting / Guest Faculty, part time lecturers, paper setters/ examiners, and for miscellaneous items shall be as mentioned below:

(i) In case there is shortage of regular faculty, the teachers may be appointed on contract basis for a salary of Rs. 8000=00 per month. Such teachers will be full time teachers.

(ii) The shortage of regular faculty may be met with the arrangement of guest lecturers. The guest faculty will be of the following categories.

(a) Part time guest faculty: Teachers of University or Colleges may be invited as part time faculty. The ceiling of the Honorarium to such teachers will be Rs. 3000=00 per month. However, the Honorarium for guest faculty teachers will be Rs. 100=00 per period (as per existing University/ UGC norms) alongwith Rs. 25=00 as conveyance allowance.

(b) Full time guest faculty- ceiling of Honorarium will be Rs. 5000=00 per month.

(iii) Special Lecturers: Eminent personalities may be invited from time to time to deliver special lectures for which an honorarium of Rs. 200=00 per hr. with a maximum of Rs. 400=00 a day may be paid.

(iv) Honorarium for Director/ Coordinator/ Head- Rs. 1200=00 per month with telephone facility/ telephone allowance.

(v) For Class III & Class IV employee (In case of additional work)- 6.25% of the Basic salary or as per the University rules.

(vi) Appointment of casual laborer, Remuneration for work concerning examinations etc. as per the University rules.

10. Audit:

Annual statement of income and expenditure of each financial year shall be audited by the Director, Local Fund Accounts or by a chartered accountant selected from a panel of CA's approved by the Executive Council.

Regulation No. - 111

(E.C. Dt. 15.01.2004)

DR. G.K. TIWARI MEMORIAL GOLD MEDAL

Doner	:	Justice Shri S.K. Tiwari Raipur (C.G.)
Value of Endowment	:	Rs. 30,000=00
Award	:	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called Late Dr. Gopal Krishana Tiwari Memorial Gold Medal and it shall be inscribed one side of the Medal.

2. One Gold Medal shall be awarded to the student who have got first position in the merit in M.Sc.-Electronics subject.

3. The Gold Medal shall be made from the yearly interest of the endowment amount of Rs. 30,000=00 (Rs. Thirty Thousand only) deposited by doner in FDR.

PT.RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Endt. No. 729 /Acad./2005 Raipur, Dated 05-04-~~March~~, 2005

Copy for Information & necessary action forwarded to :-

1. The Doner,
2. All Sections of the University,
3. Secretary to Kulpati/ P.A. to Registrar,
   Pt.Ravishankar Shukla University, Raipur

(K.K. Chandrakar)
Registrar

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), *E-mail ID- academicprsu2@gmail.com*

क्रमांक :2632 /अका./2020 रायपुर, दिनांक05 /03/2020

।। अधिसूचना ।।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.02.2020 में अध्यक्ष के अनुमति से लिये गए निर्णय क्रमांक 1 में विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 3180/अका./2011 दिनांक 29.03.2011 के द्वारा संशोधित विनियम क्रमांक–112 में वर्णित प्रावधान की स्पष्ट व्याख्या एवं निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन किया गया है –

संशोधित विनियम क्रमांक–112

वर्तमान प्रावधान	विनियम की स्पष्ट व्याख्या
1. The Gold Medal shall be known as Pt. Ravishankar Shukla University Gold Medal effective from the Semester (2010) / Annual Examination (2004) **2.** The University will award Gold Medal to the examinees at the annual convocation or the date fixed by the EC securing the First Position out of the examinees passed in the first division in the subject /classes in which the provision of Gold Medal does not exist in this Regulation. Provided that moment any donor institutes the Gold Medal in the Subject / Class concerned, the Pt. Ravishankar Shukla University Gold Medal will automatically be transferred in his/her name. **3.** In the event of two or more examinee being eligible for the award under the provisions of para 2, all the examinees shall be awarded with the Medal Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur	1. जिन पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा ली जाती है (प्रश्न–पत्र रचना , मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम) उन्हीं पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों को प्रावीण्य सूची में सम्मिलित किया जाएगा। 2. विश्वविद्यालय के जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक एवं सेमेस्टर पद्धति से परीक्षा ली जाती है उन पाठ्यक्रमों में से केवल सेमेस्टर पद्धति (नियमित छात्र–छात्रा) के परीक्षार्थियों को प्रावीण्य सूची में सम्मिलित किया जाएगा। 3. प्रावीण्य सूची में किसी छात्र–छात्रा का नाम उसी स्थिति में सम्मिलित किया जाएगा जब छात्र–छात्रा किसी भी पाठ्यक्रम की पूर्ण परीक्षा इसी विश्वविद्यालय (स्वशासी महाविद्यालयों को छोड़कर) से प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की हो।

आदेशानुसार,

3.2.20

कुलसचिव

पृ. क्रमांक :2633/अका./2020 रायपुर, दिनांक05 /03/2020

प्रतिलिपि :

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
02. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
03 प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
05. उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

29.2.20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

D:\back\shital\T R Sahu\TR Sahu General Letter-3.docx

Regulation No. 113

(E.C. Date 28-01-2005)

DR. B.R. VERMA MEMORIAL GOLD MEDAL

Doner	:	Smt. Heman Verma C/o. Dr. K. L. Verma Kanchenjunga-II Behind Pt.Ravishankar Shukla University Raipur (C.G.)
Value of Endowment	:	Rs. 30,000/- (Rs. Thirty thousand only)
Award	:	One Gold Medal

1] The Endowment shall be called Dr. B.R. Verma Memorial Gold Medal and it shall be in inscribed on one side of the Gold Medal.

2] The Net Income accuring from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation or the date fixed by the E.C. to the examinee securing highest marks in M.Sc. Botany Examination of the University in the first attempt.

3] In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provision of para 2, such an examinee who is younger or youngest in the age shall be awarded the Medal.

PT.RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Endt. No. 729 /Acad./2005 Raipur, Dated 05-04-~~March~~, 2005

Copy for Information & necessary action forwarded to :-

1] The Doner,

2] All Sections of the University,

3] Secretary to Kulpati/ P.A. to Registrar,
Pt.Ravishankar Shukla University, Raipur.

(**K.K. Chandrakar**)
Registrar

Regulation No. 114

(E.C. Date 28-01-2005)

SHRI JAGANNATH PRASAD SHARMA MEMORIAL GOLD MEDAL

Doner	:	Dr. B.K. Sharma H.O.D. - Mathematics Deptt. Pt.Ravishankar Shukla University, Raipur
Value of Endowment	:	Rs. 30,000/- (Rs. Thirty thousand only)
Award	:	One Gold Medal

1] The Endowment shall be called Late Shri Jagannath Prasad Sharma Memorial Gold Medal and it shall be inscribed on one side of the Gold Medal.

2] The Net Income accuring from endowment every year shall be utilized for the award of a Gold Medal at the annual convocation of the University or the date fixed by the E.C. to the examinee who secures the highest marks at the M.B.A.(first to final year) main Examination of the University, in the first attempt.

3] In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provision of para 2, such an examinee who is younger or youngest in the age shall be awarded the Medal.

PT.RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Endt. No. 729 /Acad./2005 Raipur, Dated 05 04 ~~March~~, 2005

Copy for Information & necessary action forwarded to :-

1] The Doner,

2] All Sections of the University,

3] Secretary to Kulpati/ P.A. to Registrar,

Pt.Ravishankar Shukla University, Raipur.

(**K.K. Chandrakar**)
Registrar

Regulation No. 115

(E.C. Date 28-01-2005)

LATE SHRI CHANDRABHAN SHARMA MEMORIAL GOLD MEDAL

Doner	:	Smt. Manorama Sharma W/o. Late Shri Chandrabhan Sharma H.No. 54/1561, In front of Vivekananda English School Shanti Vihar Colony, Dangania Raipur (C.G.)
Value of Endowment	:	Rs. 30,000/- (Rs. Thirty thousand only)
Award	:	One Gold Medal

1] The Endowment shall be called Late Shri Chandrabhan Sharma Memorial Gold Medal and it shall be in inscribed on one side of the Gold Medal.

2] The Net Income accuring from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation or the date fixed by the E.C. to the examinee securing highest marks in M.C.A. Examination of the University in the first attempt.

3] In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provision of para 2, such an examinee who is younger or youngest in the age shall be awarded the Medal.

PT.RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Endt. No. 729 /Acad./2005 Raipur, Dated 05-04-~~March,~~ 2005

Copy for Information & necessary action forwarded to :-

1] The Doner,

2] All Sections of the University,

3] Secretary to Kulpati/ P.A. to Registrar,

Pt.Ravishankar Shukla University, Raipur.

(K.K. Chandrakar)
Registrar

Regulation No. 116

(E.C. Date 28-01-2005)

LATE SMT. YASHODA SHARMA MEMORIAL GOLD MEDAL

Doner	:	Shri Shiv Prasad Sharma Advocate & Ex-M.L.A. (Pamgarh) Ashirwad Bhawan, In front of District Court Janjgir (C.G.)
Value of Endowment	:	Rs. 30,000/- (Rs. Thirty thousand only)
Award	:	One Gold Medal

1] The Endowment shall be called Late Smt. Yashoda Sharma Memorial Gold Medal and it shall be in inscribed on one side of the Gold Medal.

2] The Net Income accuring from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation or the date fixed by the E.C. to the examinee securing highest marks in Bachelor of Pharmacy Examination of the University in the first attempt.

3] In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provision of para 2, such an examinee who is younger or youngest in the age shall be awarded the Medal.

PT.RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Endt. No. 729 /Acad./2005 Raipur, Dated 05-04-March, 2005

Copy for Information & necessary action forwarded to :-

1] The Doner,

2] All Sections of the University,

3] Secretary to Kulpati/ P.A. to Registrar,
Pt.Ravishankar Shukla University, Raipur.

(K.K. Chandrakar)
Registrar

Regulation No. 117

(E.C. Date 14-03-2005)

SETH PYARELAL AGRAWAL MEMORIAL GOLD MEDAL

Doner	:	Shri B.L. AGRAWAL Mayur Bhawan New Timber Market, Fafadih Raipur (C.G.)
Value of Endowment	:	Rs. 50,000/- (Rs. Fifty thousand only)
Award	:	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called Seth Pyarelala Agrawal Memorial Gold Medal and it shall be in inscribed on one side of the Gold Medal.

2. The Net Income accuring from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation or the date fixed by the E.C. to the examinee securing highest marks in LL.B. Examination of the University in the first attempt.

3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provision of para 2, such an examinee who is younger or youngest in the age shall be awarded the Medal.

PT.RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Endt. No. 729 /Acad./2005 Raipur, Dated 05 -05- ~~March~~, 2005

Copy for Information & necessary action forwarded to :-

1. The Doner,
2. All Sections of the University,
3. Secretary to Kulpati/ P.A. to Registrar,

   Pt.Ravishankar Shukla University, Raipur

(K.K. Chandrakar)
Registrar

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262112 (अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 4893/अका./2006 रायपुर, दिनांक : 25 /04/2006

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.03.2006 में दानदाता श्री हूबलाल पाण्डेय, रोहिणीपुरम्, रायपुर (छ.ग.) द्वारा उनकी माता श्रीमती खेलबाई गेंदराम पाण्डेय की स्मृति में स्वर्णपदक की स्थापना से संबंधित विनियम 118 को अनुमोदित किया गया है । यह स्वर्णपदक सत्र 2005–06 से एम.बी.ए. की परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण कर मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वर्णपदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा । विनियम क्रमांक 118 की स्थापना निम्नानुसार की गई है :–

Regulation No. 118
(E.C. Date 25-03-2006)

Smt. Khel Bai Gend Ram Pandey Memorial Gold Medal

Doner	-	**Shri Hub Lal Pandey** **C - 316/A, Rohinipuram, Raipur (C.G.)**
Value of Endowment	-	**Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)**
Award	-	**One Gold Medal**

1. The Endowment shall be called Smt. Khel Bai Gend Ram Pandey Memorial Gold Medal and it shall be inscribed on one side of the Gold Medal.
2. The Net Income accuring from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation or the date fixed by the Executive Council to the examinee securing highest aggregate marks in M.B.A. examination of the University in the first attempt.
3. In the event of two or more examinee being eligible for the award under the provision of para 2, such an examinee who is younger or youngest in the age shall be awarded the medal.

कार्यपरिषद के आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 4894/अका./2006 रायपुर, दिनांक : 25 /04/2006

प्रतिलिपि :–

1. दानदाता को ।
2. प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को ।
3. विभागाध्यक्ष, प्रबंध संस्थान,
4. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
5. उपकुलसचिव (परीक्षा)/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय/विकास/सामान्य प्रशासन),
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप कुलसचिव (अका.)

RAVI06/PARMANAND06/46

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262112 (अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

कमांक 8240 /अका./2006 रायपुर, दिनांक 27 /06/2006

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13.06.2006 में दानदाता मिस मीरा राव, आत्मजा स्व. श्री डी. नरसिंह राव, शंकर नगर, रायपुर के द्वारा उनकी बहिन मिस आशा राव की स्मृति में स्वर्णपदक की स्थापना से संबंधित विनियम 119 को अनुमोदित किया गया है । यह स्वर्णपदक सत्र 2006–07 से एम.ए. अर्थशास्त्र की परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण कर मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वर्णपदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा । विनियम कमांक 119 की स्थापना निम्नानुसार की गई है :–

Regulation No. 119
(E.C. Date 13-06-2006)

Miss Asha Rao Memorial Gold Medal

Doner	–	**Miss Meera Rao** **D/o. Late Shri D. Narsingh Rao** **Dr. Vijay Laxmi Singh Gali, T.V. Tower Road** **Shankar Nagar, Raipur (C.G.)**
Value of Endowment	–	**Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)**
Award	–	**One Gold Medal**

1. The Endowment shall be called Miss Asha Rao Memorial Gold Medal and it shall be inscribed on one side of the Gold Medal.
2. The Net Income accuring from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation or the date fixed by the Executive Council to the examinee securing highest aggregate marks in M.A.(Economics) examination of the University in the first attempt.
3. In the event of two or more examinee being eligible for the award under the provision of para 2, such an examinee who is younger or youngest in the age shall be awarded the medal.

कार्यपरिषद के आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. कमांक 8241 /अका./2006 रायपुर, दिनांक 27/06/2006

प्रतिलिपि :–

1. दानदाता को ।
2. प्राचार्य, संबंधित सगरत सम्बद्ध महाविद्यालयों को ।
3. विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला,
4. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
5. उपकुलसचिव (परीक्षा)/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय/विकास/सामान्य प्रशासन),
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 566 /अका./2007 रायपुर, दिनांक : 31 /08/2007

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 305/अका./2007, दिनांक 07.08.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :–

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.06.2007 में दानदाता डॉ.(श्रीमती) सुलभा जलतारे, भिलाई नगर के द्वारा डॉ. वी.जी. वैद्य के स्मृति में स्वर्णपदक की स्थापना से संबंधित विनियम 120 को अनुमोदित किया गया है । यह स्वर्णपदक सत्र 2007–08 से विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के एम.एस–सी. (अंतिम)–रसायन की परीक्षा, प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वर्णपदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक 120 की स्थापना निम्नानुसार की गई है :–

Regulation No. 120
(E.C. Dt. 26-06-2007)

Dr. V.G. VAIDYA GOLD MEDAL

Doner	-	**Dr. (Mrs.) Sulabha Jaltare** **Qtr. 6A, St-16, Sector-10,** **Bhilai Nagar, Distt. Durg (C.G.)** **Tel. 0788-2356567, Cel. 98266-66567**
Value of Endowment	-	**Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)**
Award	-	**One Gold Medal**

1. The Endowment shall be called "Dr. V.G. Vaidya Memorial Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Gold Medal.
2. The Net Income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the examinee securing Top Position in the subject of M.Sc.(Final) Chemistry Examination of the U.T.D., Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under provision of para 2, one who is younger or youngest in age shall be awarded gold medal.

कार्यपरिषद के आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 567 /अका./2007 रायपुर, दिनांक : 31/08/2007

प्रतिलिपि :–

1. दानदाता को ।
2. विभागाध्यक्ष, रसायन अध्ययन शाला,
3. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
4. उपकुलसचिव (परीक्षा/सा.प्रशा.)/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय/विकास),
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
   पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक: 6124/अका./2009

रायपुर, दिनांक: 25/05/2009

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 05.05.2009 में दानदाता श्रीमती सरला शुक्ला, डुंगाजी कॉलोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा उनके पति स्व. डॉ. मुरारी लाल शुक्ला के स्मृति में स्वर्ण पदक की स्थापना से संबंधित विनियम 121 को अनुमोदित किया गया है। यह ***स्वर्ण पदक*** सत्र 2008–2009 से बी.ए. अंतिम की परीक्षा में प्रथम प्रयास, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर अर्थशास्त्र विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वर्णपदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक 121 की स्थापना निम्नानुसार की गई है :–

Regulation No. 121
(E.C. Dt. – 05-05-2009)

LATE. DR. MURARI LAL SHUKLA MEMORIAL GOLD MEDAL

Doner	-	**Mrs. Sarala Shukla** **10-Dungaji Colony, Raipur (C.G.)** **Tel. 0771-2263718**
Value of Endowment	-	**Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)**
Award	-	**One Gold Medal**

1. The Endowment shall be called "Late. Dr. Murari Lal Shukla Memorial Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Gold Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the examinee securing highest aggregate marks scored in the papers of Economics in B.A. among all colleges in the Jurisdiction of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided the toppers aggregate in B.A. (Final) is not less than 60% in the first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under provision of para 2, one who is younger or youngest in age shall be awarded gold medal.

कार्यपरिषद् के आदेशानुसा,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 6125/अका./2009

रायपुर, दिनांक: 25/05/2009

प्रतिलिपि :

1. श्रीमती सरला शुक्ला, 10–डुंगाजी कॉलोनी, रायपुर छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को।
3. विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला,
4. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/गोपनीय/विकास/सामान्य प्रशासन,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

विनियम क्रमांक 122 कार्यपरिषद दिनांक-11-09-2009

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय , रायपुर

शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति विनियम 2009

विश्वविद्यालय की राय में यह आवश्यक हो गया है कि–

1. विश्वविद्यालय के शिक्षकीय प्रवर्ग में , कतिपय रिक्तियां अल्प समय के लिए भरी जावें ।
2. अतः विश्वविद्यालय के शिक्षकीय संवर्ग को संविदा के आधार पर विनिर्दिष्ट कालवधि के लिए नियुक्त किया जावें ।

शासन के नियम 2002 के अनुसार

3. अतएव भारत के छत्तीसगढ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा– 40 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए कार्यपरिषद् एतद् द्वारा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ के अधीन सेवा के शिक्षकीय प्रवर्ग को संविदा आधार पर भर्ती से संबंधित विनियम बनाते हैं ।

नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा नाम

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय संविदा नियुक्ति शैक्षणिक विनियम 2009

शासन के नियम 2002(1) यथावत

(2) तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों में अन्तर्विप्ट किसी बात के होते हुए भी, ये विनियम संविदा सेवा पर लिए गए शिक्षकों को लागू होंगे ।

(3) यह विनियम कार्यपरिषद् में पारित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाऍं

इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) समस्त पदो के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" विश्वविद्यालय का कुलपति होगा ।

शासन में नियमित नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को है । शासन के नियम 2002(2)में नियुक्ति प्राधिकारी प्राचार्य को बनाया गया है । शासन के नियम 2002(2)में **विश्वविद्यालय** के अनुसार संशोधन करते हुये **कुलपति को** नियुक्ति प्राधिकारी बनाया जाना प्रस्तावित ।

(ख) विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है "पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर"।

3. **सूक्ष्म जांच समिति**

सूक्ष्म जांच समिति निम्नानुसार होगी.

(क) संकायाध्यक्ष	अध्यक्ष
(ख) संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष	सदस्य
(ग) कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय का वरिष्ठ शिक्षक अथवा जहां नियमित शिक्षक उपलब्ध न हो किसी अन्य विषय का शिक्षक	सदस्य

शासन के नियम 2002(3) में सूक्ष्म जांच के अध्यक्ष प्राचार्य हैं तथा दो अन्य सदस्य. (1) विभागाध्यक्ष (2) वरिष्ठ प्राध्यापक है ।इसे वि. वि.अनुसार संशोधन प्रस्तावित।

4. **पारिश्रमिक**

संविदा पर कार्यरत् व्यक्ति को प्रतिमाह पारिश्रमिक उतनी राशि पारिश्रमिक देय होगा जो तत्समय राज्य शासन से अनुमोदित हो । वर्तमान में यह राशि 12,800/– है ।

शासन का नियम 2002(4) तथा आदेश दिनांक 20/5/09 के अनुसार

5. **नियुक्ति का तरीका**

(1) समस्त नियुक्तियों, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, सूक्ष्म जांच समिति द्वारा तैयार किए गए मेरिट आधार पर की जायेगी ।

(2) समिति शिक्षकों, के लिए अभ्यर्थी को दिए गए मेरिट अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में एक मेरिट सूची बनायेंगी.।

शासन का नियम 2002(5) यथावत

(3) मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम 100 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदण्ड निम्नानुसार होगा –

(क)

(i) नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25 मेरिट अंक
(ii)स्नातकोत्तर एवं एम.फिल. के लिए	25 मेरिट अंक
(iii)स्नातकोत्तर एवं एम.फिल.तथा नेट/स्लेट के लिए	30 मेरिट अंक
(iv) स्नातकोत्तर एवं पी–एचडी. के लिए	35 मेरिट अंक
(v) स्नातकोत्तर एवं पी–एचडी. तथा नेट/स्लेट के लिए	40 मेरिट अंक

शासन का नियम 2006 तक यथा संशोधित ।स्पष्ट **विज्ञापन दिनांक 8/5/09 से उद्धृत**

(ख) स्नातकोत्तर, एम.फिल.एवं पी.एच.डी.तथा नेट/स्लेट युक्त या रहित के लिए स्नातक स्तर के प्राप्तांकों के लिए. — 25 मेरिट अंक

50 प्रतिशत के लिए 0 अंक, 51 प्रतिशत से 71 प्रतिशत प्रत्येक 1 प्रतिशत के लिए 1 अंक तथा 70 से उपर अंक

के लिए 5 बोनस अंक दिया जाएगा । (बोनस अंक के 70.5 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करना होगा)

(ग) स्नातकोत्तर स्तर के प्राप्तांकों के लिए 30 मेरिट अंक
55 प्रतिशत के लिए 5 अंक, 56 प्रतिशत से 75 प्रतिशत प्रत्येक 1 प्रतिशत के लिए 1 अंक तथा 75 प्रतिशत से अधिक के लिए 5 बोनस अंक दिया जायेगा.(बोनस अंक देने के लिए 75.5 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करना होगा)
शिक्षा विषय हेतु मेरिट निर्धारित करनें के लिये विभाजन परिशिष्ट 1 के अनुसार होगा ।

(घ) अध्यापन अनुभव

विश्वविद्यालय में प्रत्येक पूर्ण 5 माह का अनुभव के लिए 1 मेरिट अंक, अधिकतम 5 अंक दिया जायेगा ।

(4) (क) संविदा नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जाएगी

शासन के नियम 2002(4) केवल आवेदन पत्र सामन्य कागज पर संशोधित किया गया है ।

(अ) विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर

(ब) संबंधित विषय के विभागीय सूचना पटल पर प्रतियां प्रदर्शित कर, आवेदन आमंत्रित किया जाएगा

(ख) प्राप्त समस्त आवेदनपत्र की प्रविष्ठियां एक पृथक रजिस्टर में की जावेगी. रजिस्टर के अंतिम प्रविष्ठी के नीचे कुलसचिव या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर कर प्रमाणित करेंगे कि उस विषय में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

शासन के नियम 2002(5)

6. <u>समयावधि</u>

संविदा आधार पर लिए गए सेवा की समयावधि सामान्यतः एक अकादमिक सत्र के लिए होगी । मूल संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वंमेव समाप्त मानी जावेगी आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर, पुनः संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी. नियमित नियुक्तियों के तहत यदि संविदा पद पर कार्यरत व्यक्ति के पद पर नियुक्ति की जाती है तो संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी ।

शासन का नियम 2002 (6) में 10 माह की अवधि थी ।संविदा नियम 2004(11) के अनुसार संशोधन ।इसीलिये सत्र 2008-09 के लिये नियुक्त संविदा शिक्षकों से पुन आवेदन नही मंगाये गये है ।(देखिये विज्ञापन)

7. <u>आयु</u>

पात्रता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 51 वर्ष होगी ।

8. **शैक्षणिक अर्हता**

अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यताएं निम्न में से कम न हों.

अ. स्नातक स्तर पर कम से कम 50% अंक

ब. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक

शासन का नियम 2002
(8) यथावत
टीप विज्ञापन दिनांक
8/5/2009 के अनुसार

टीप- नेट परिक्षा उत्तीर्ण अथवा 2002 के पूर्व आयोजित म.प्र. स्लेट परिक्षा अथवा सेट उत्तीर्ण /पी.एच.डी. /एम.फिल. को प्राथमिकता दी जायेगी ।

9. **अन्य शर्तें**

(क) इन विनियमों के अधीन कोई भी नियुक्ति, संबंधित प्रवर्ग या उससे उच्च प्रवर्ग में रिक्त पद के विरूध्द ही की जायेगी.

शासन का नियम 2002
(9) यथावत
केवल (घ) में परिनियम
31 का प्रावधान जोड़ा गया

(ख) इन विनियमों के अधीन शिक्षकीय पदों पर नियुक्तियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों क आरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियमों द्वारा भाषित होगी. इस प्रयोजन के लिए रोस्टर विश्वविद्यालय स्तर पर रखा जायेगा.

(ग) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा ।

(घ) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति परिनियम 31 सहपठित छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 द्वारा शासित होगा.

(ड.) इन विनियमों के अधीन सेवाओं का पर्यावसान, पदावधि के अवसान के पूर्व किसी भी ओर से एक माह की सूचना या उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर किसी भी समय किया जा सकेगा.

(च) इन विनियमों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति किसी व्यक्ति को महंगाई भत्ता, गृहभत्ता या कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा.

(छ) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता का अधिकार होगा.

(ज) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में अनुपातिक आकस्मिक अवकाश तथा ऐच्छिक छुट्टियों का हकदार

होगा, किंतु किसी भी प्रकार के अवकाश या दीर्घावकाश का हकदार नहीं होगा.

(झ) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति का शासकीय अथवा अन्य सेवा हेतु आवेदनपत्र को अग्रेषित नहीं किया जाएगा, आवेदक को सीधे आवेदनपत्र देने की छूट होगी.

(ट) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति की स्थिति में अनुपातिक पारिश्रमिक की कटौती की जावेगी.

(ठ) इन विनियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को कुलपति तथा विभागाध्यक्ष के द्वारा निर्देशानुसार, पूर्ण करने होंगे.

(ड) सेवा की कोई अन्य शर्ते ऐसी होगी, जैसा कि नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए.

10. आवेदनकर्त्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में संविदा निष्पादन के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया जावेगा ।

शासन का नियम 2002
(10)

8/9/09

परिशिष्ट – एक

(क)	1	एम. एड स्नातकोत्तर, शिक्षा में पी.एच.डी. / नेट / स्लेट	40	40
	2	एम. एड., स्नातकोत्तर, पी.एच.डी.(अन्य विषय में)	35	
	3	एम. एड., स्नातकोत्तर, एम. फिल (शिक्षा)	35	
	4	एम. एड., स्नातकोत्तर, एम. फिल (अन्य विषय में)	30	
	5	बी. एड., स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. (अन्य विषय में)	30	
	6	एम. एड., स्नातकोत्तर	25	
	7	बी. एड., स्नातकोत्तर	20	
(ख)	8	एम.एड के अंकों पर अधिकभार	30	30
(ग)	9	बी.एड के अंकों पर अधिकभार	20	20
(घ)	10	विश्वविद्यालय के अध्ययन शाला में अध्यापन अनुभव प्रत्येक 5 माह पर 02 अंक अधिकतम		10
		योग		100

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापकों के लिए संविदा नियम 2002 निर्मित किए गए हैं । जिसमें 2005 एवं 2006 में संशोधन किया गया है ।

इन नियमों में तथा संविदा नियम 2004 को समन्वित करते हुए शासन द्वारा 2009 में संविदा विज्ञापन किया हैं ।

तद्नुसार प्रस्तावित ।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)
दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 8832 /अका./2010 रायपुर, दिनांक : 15/01/2010

।। अधिसूचना ।।

माननीय कुलपतिजी ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) का प्रयोग करते हुए कार्यपरिषद् की ओर से, दानदाता श्री महावीर प्रसाद गुप्ता एंड श्री दीपक गुप्ता मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एंड पावर लिमिटेड छ.ग. द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री *श्री राजीव गाँधी* की स्मृति में स्वर्ण पदक की स्थापना से संबंधित विनियम 123 को अनुमोदित किया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2009 की परीक्षा से विधि (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक 123 की स्थापना निम्नानुसार की गई है:–

Regulation No. 123
(EC Under 15(4) 14.01.2010)
Rajiv Gandhi Gold Medal

Donor	:	(a) Shri Mahavir Prasad Gupta &
		(b) Shri Deepak Gupta
		M/s. SKS Ispat & Power Ltd., Raipur (C.G.)
Value of Endowment	:	Rs. 50,000/-
Award	:	One Medal

1. The endowment shall be called "Rajiv Gandhi Medal" and it shall be inscribed on one side of the medal.
2. The net income occruing from endowment every year shall be utilized for the award of a medal at the annual convocation of the University to the examinee securing the highest mark but not lower than 60% of total aggregate marks at LL.B. (Part-I, II & III) Examination.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in the age, shall be awarded the medal.
4. The award of Gold Medal shall commence for LL.B. examination 2009.

कुलपति के आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 8833 /अका./2010 रायपुर, दिनांक : 15/01/2010

प्रतिलिपि :
01. श्री महावीर प्रसाद गुप्ता एवं श्री दीपक गुप्ता, मेसर्स, एस.के.एस. इस्पात एंड पावर लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
02. प्राचार्य, संबंधित समस्त महाविद्यालयों को,
03. विभागाध्यक्ष, विधि अध्ययनशाला,
04. समस्त विभागीय अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय/विकास/सामान्य/प्रशासन/वित्त/अंकेक्षण/अकादमिक
05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 1070 /अका./2010 रायपुर, दिनांक : 30 /04/2010

।। अधिसूचना ।।

दानदाता श्री सुभाष मिश्रा, अधिवक्ता, साकेत, 59 ऐश्वर्या रेसीडेन्सी, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर द्वारा अपने स्वर्गीय पिता **विश्वम्भर देवजी मिश्र** की स्मृति में, स्वर्ण पदक की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.04.2010 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2009–10 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पात्र अभ्यर्थी को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक की स्थापना निम्नानुसार की गई है –

Regulation No. 124
(E.C. Under 16-04-2010)
LATE B.D. MISRA GOLD MEDAL

Doner	-	**Shri Subhash Misra, Advocate Saket, 59, Aishwarya Residency, G.E. Road, Telibandha, Raipur (C.G.) Mob. No. - 94252-04625**
Value of Endowment	-	**Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)**
Award	-	**One Gold Medal**

1. The Endowment shall be called "Late B.D. Misra, Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the male examinee securing highest aggregate marks but not lower than 60% if total aggregate marks at B.A.LL.B. (All years) Examination in first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.
4. The award of Gold Medal shall commence for B.A. LL.B. examination 2010.

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक : 1071 /अका./2010 रायपुर, दिनांक : 30 /04/2010

प्रतिलिपि :

01 श्री सुभाष मिश्रा, अधिवक्ता, साकेत, 59 ऐश्वर्या रेसीडेन्सी, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर
02. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध विधि महाविद्यालयों को,
03. विभागाध्यक्ष, विधि अध्ययनशाला,
04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
05. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

D./ shi 08/tikaram08/237

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 1072 /अका./2010 रायपुर, दिनांक : 30/04/2010

।। अधिसूचना ।।

दानदाता श्री सुभाष मिश्रा, अधिवक्ता, साकेत, 59 ऐश्वर्या रेसीडेन्सी, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर द्वारा अपने स्वर्गीय माता **प्रकाशवती मिश्र** की स्मृति में, स्वर्ण पदक की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.04.2010 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2009–10 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पात्र अभ्यर्थी को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक की स्थापना निम्नानुसार की गई है –

Regulation No. 125
(E.C. Under 16-04-2010)
LATE PRAKASHWATI MISRA GOLD MEDAL

Doner	-	**Shri Subhash Misra, Advocate Saket, 59, Aishwarya Residency, G.E. Road, Telibandha, Raipur (C.G.) Mob. No. - 94252-04625**
Value of Endowment	-	**Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)**
Award	-	**One Gold Medal**

1. The Endowment shall be called "Late Prakashwati Misra, Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the female examinee securing highest aggregate marks but not lower than 60% if total aggregate marks at B.A.LL.B. (All years) Examination in first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.
4. The award of Gold Medal shall commence for B.A. LL.B. examination 2010.

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक : 1073 /अका./2010 रायपुर, दिनांक : 30/04/2010

प्रतिलिपि :

01 श्री सुभाष मिश्रा, अधिवक्ता, साकेत, 59 ऐश्वर्या रेसीडेन्सी, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर
02. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध विधि महाविद्यालयों को,
03. विभागाध्यक्ष, विधि अध्ययनशाला,
04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
05. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

D:/ shi 08/tikaram08/238

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : /अका./2010 रायपुर, दिनांक : /06/2010

।। अधिसूचना ।।

दानदाता श्रीमती ममता शर्मा, मकान नं.– 872, सुन्दर नगर, रायपुर द्वारा अपने स्वर्गीय पति **प्रमोद शर्मा** की स्मृति में, स्वर्ण पदक की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 12.05.2010 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2010 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2009–10 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पात्र अभ्यर्थी को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक की स्थापना निम्नानुसार की गई है –

Regulation No. 126
(E.C. Under 18-05-2010)
LATE PRAMOD SHARMA GOLD MEDAL

Donor	-	**Smt. Mamta Sharma,** **H.No. - 872, Sundar Nagar,** **Raipur - 492003** **Mob. No. - 92294913**
Value of Endowment	-	**Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)**
Award	-	**One Gold Medal**

1. The Endowment shall be called "Late Pramod Sharma, Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secure highest percentage of marks in M.A./M.Sc. (Mathematics) Course examination run in the School of studies in Mathematics of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur from 2010.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.
4. The award of Gold Medal shall commence for M.A./M.Sc. (Mathematics) Examination of S.o.S. Mathematics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक : 1262 /अका./2010 रायपुर, दिनांक : 1/06/2010

प्रतिलिपि :

01 श्रीमती ममता शर्मा, मकान नं.– 872, सुन्दर नगर, रायपुर
02. विभागाध्यक्ष, गणित अध्ययनशाला,
03. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
04. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

D:/ shi 08/tikaram08/248

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 2567 /अका./2010 रायपुर, दिनांक : 20 /12/2010

।। अधिसूचना ।।

दानदाता श्री अनुराग श्रीवास्तव, अनुगृह, न्यू शांति नगर, रायपुर के द्वारा अपने स्वर्गीय पिता स्व. **कृष्ण किशोर श्रीवास्तव** की स्मृति में, स्वर्ण पदक की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.11.2010 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक आगामी अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक की स्थापना निम्नानुसार की गई है –

Regulation No. 127
(E.C. Under 23- 11 -2010)

LATE KRISHNA KISHOR SHRIVASTAVA GOLD MEDAL

Doner	-	**Shri Anurag Shrivastava,** **Anugrih, New Shanti Nagar** **Raipur - 492007** **Mob. No. - 94252-02588** **0771-2425448** **4093388** **Fax - 0771-4066141**
Value of Endowment	-	**Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)**
Award	-	**One Gold Medal**

1. The Endowment shall be called "Late Krishna Kishor Shrivastava, Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secure highest percentage of marks in M.Sc. Physics Semester System Examination of the U.T.D. Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt. It is further provided that in case any other system of examination, it would be awarded to the candidate who fulfills above mentioned criteria in the existing system at the time.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, one who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक : 2568 /अका./2010 रायपुर, दिनांक : 20 /12/2010

प्रतिलिपि :

01 श्री अनुराग श्रीवास्तव, अनुगृह, न्यू शांति नगर, रायपुर
02. विभागाध्यक्ष, भौतिकी अध्ययनशाला,
03. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
04. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

D:/ shi 08/tikaram08/140

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 2569 /अका./2010 रायपुर, दिनांक : 20/12/2010

।। अधिसूचना ।।

दानदाता डॉ. सुरेन्द्र कुमार राजपूत के द्वारा अपने स्वर्गीय पुत्र **स्व. मयंक राजपूत** की स्मृति में, स्वर्ण पदक की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.11.2010 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक आगामी अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक की स्थापना निम्नानुसार की गई है –

Regulation No. 128

(E.C. Under 23-11 -2010)

MAYANK RAJPUT MEMORIAL GOLD MEDAL

Doner	-	**Dr. S.K. Rajput** **C 1/2, Vimla Vihar, Kanchnganga,** **Phase -II, Pt. R.S.U. Raipur** **Mob. No. - 94252-11073** **0771-2262575**
Value of Endowment	-	**Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)**
Award	-	**One Gold Medal**

1. The Endowment shall be called "Mayank Rajput Memorial, Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secure highest percentage of marks in M.Sc. Computer Science Examination of the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, one who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक : 2570 /अका./2010 रायपुर, दिनांक : 20/12/2010

प्रतिलिपि :

01 डॉ. सुरेन्द्र कुमार राजपूत, **C 1/2,** विमला विहार, कंचनगंगा कालोनी, फेस–2, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
02. प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
03. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
04. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

D:/ shi 08/tikaram08/141

क्रमांक : 8481 /अका./ 2012 रायपुर, दिनांक : 25/09/2012

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 20वीं बैठक दिनांक 30 जून, 2012 को सायं 5:00 बजे महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के प्रस्ताव क्रमांक 7 Revised Regulation 129, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम 2009, विश्वविद्यालय ने विनियम 129 के द्वारा अनुकूलन करते हुए प्रभावशील कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त विनियम में प्रथम संशोधन अधिसूचना दिनांक 13 फरवरी 2012 को अधिसूचित किया है (भारत के राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2012 में प्रकाशित) संशोधन विनियम को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् में अपनी बैठक दिनांक 07.05.2012 अनुकूलन कर लिया है, कि सूचना ग्रहण कर अनुमोदित किया गया है।

संशोधित विनियम 129

(E.C. under 07-05-2012)

1. संक्षिप्त नाम, उपयोजन तथा प्रारंभ

1.1* यह विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) (प्रथम संशोधन) विनियम 2012 के नाम से जाना जाएगा।

1.2 ये विनियम, भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

1.3 यह तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

2 परिभाषाएं : इन विनियमों में :

2.1 "सम्बद्धता" तथा इसके व्याकरणिक रूपभेदों में किसी कालेज के संबध में, किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के कालेज को मान्यता प्रदान करना उसके साथ इस प्रकार के कालेज का सहयोजन, इस प्रकार के कालेज को विश्वविद्यालय राज्य विशेषाधिकारों प्रदान करना शामिल है।

2.2 "कालेज" का अर्थ किसी संस्थान से है, चाहे वह इस प्रकार के या किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो 12 वर्षो के स्कूली पाठ्यक्रम के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार का अध्ययन कार्यक्रम चलाने के लिए और अध्ययन कार्यक्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस प्रकार की अर्हता प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु सक्षमकारी मान्यता प्रदान की गई हो।

2.3 "आयोग" का अर्थ है एक वि.अ.आ. अधिनियम के तहत् स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;

2.4 "पाठ्यक्रम" का अर्थ है एक इकाई जिसमें एक अध्ययन कार्यक्रम शामिल होता है;

2.5* "2.5 'अनुदान सहायता प्राप्त महाविद्यालय' से तात्पर्य 'एक ऐसे महाविद्यालय से है' जो कि अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है।"

2.6 "कार्यक्रम" / "अध्ययन कार्यक्रम" का अर्थ है वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 22 (3) के तहत् आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्री प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है;

2.7* "सांविधिक / नियामक निकाय" से तात्पर्य है एक ऐसा निकाय जिसे किसी केन्द्र / राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है ताकि उच्चतर शिक्षा के सापेक्ष क्षेत्रों में मानकों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया जा सकें।

2.8 "छात्र" का अर्थ एक व्यक्ति जिसे एक विशिष्ट अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन हेतु दाखिल दिया जाता है।

3. **अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अर्हता मानदण्ड:**

3.1* सम्बद्ध का इच्छुक प्रस्तावित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किये जाने के समय निम्न अनिवार्यताओं को पूरा करेगा अथवा सांविधिक / विनियामक निकाय द्वारा ऐसी अनिवार्यताओं को पूरा करेगा जो केवल तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई हों।"

3.1.1* यदि वह भूमि किन्ही बड़े शहरों में स्थित है तथा उसका विस्तार 1.5 एकड़ से कम नहीं है, यदि यह महानगरों में स्थित है तथा इसका विस्तार 2 एकड़ हो अथवा यदि यह अन्य नगरों में स्थित है तो इसका विस्तार 5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए तथा इसका विवाद रहित स्वामित्व एवं अधिकारिता हो एवं वह भूमि किसी भी ऋण भार से मुक्त होनी चाहिए।

बशर्ते, यह उप–धारा ऐसे महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी, जो कि पहले से भारत में विद्यमान विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं।

बशर्ते, बड़े शहरों में अपेक्षाकृत कम विस्तृत भूमि की आवश्यकता का विश्वविद्यालय के पाठ्योत्तर एवं बाह्य क्रियाकलापों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बशर्ते, "पहाड़ी क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता, जो समीपथ हो अथवा उन ऐसे तीन स्थानों पर जिनकी परस्पर दूरी 2 कि.मी. से अधिक न हो।

3.1.2 प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा अन्य भवन के साथ–साथ प्रत्येक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट त्वरित शैक्षणिक तथा अन्य स्थान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवास स्थान होना चाहिए तथा वि.अ.आ. / सांविधिक / संबंधित विनियामक निकाय द्वारा विहित मानकों के अनुरूप भावी विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि कालेज में निर्मित सभी भवन निशक्त अनुकूल होने चाहिए।

Contd.

3.1.3* संकायों, व्याख्याताओं, सम्मेलन कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं को एक ऐसे अकादमिक भवन में स्थापित किया जाएगा जिसमें न्यूनतम प्रति छात्र 15 वर्ग फुट क्षेत्र व्याख्यान कक्ष/संगोष्ठी कक्ष/पुस्तकालय में विद्यमान हों तथा प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रति छात्र 20 वर्ग फुट होना चाहिए :

बशर्ते, यह उप–धारा उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी जो पहले से ही भारत में विद्यमान महाविद्यालयों से सम्बद्ध है।

3.1.4 शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक स्टॉफ की संख्या विश्वविद्यालय मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए।

3.1.5* जल, विद्युत, वायुसंचारण/शौचालयों, सीवरेज आदि पर्याप्त नागरिक सुविधाएँ केन्द्र/राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रदान की जाएँ।

3.1.6* सुरक्षा, संरक्षा एवं प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए पर्याप्त उपाय।

3.1.7 कम से कम 1000 पुस्तकों का एक ग्रंथालय, अथवा प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रत्येक विषय के अलग–अलग शीर्षक पर 100 पुस्तकें, इनमें से जो भी अधिक हो, ताकि पाठ्यक्रम तथा संदर्भ–पुस्तकों, दोनों को शामिल किया जा सके, इसके अलावा प्रत्येक विषय पर दो जर्नल होने चाहिए साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा वि.अ.आ. द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य वर्गों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा भी होनी चाहिए;

3.1.8 प्रत्येक उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा यथा विहित आवश्यक प्रयोगशाला उपस्कर होने चाहिए।

3.1.9 एक बहुउद्देश्य काम्प्लेक्स/एक प्रेक्षागृह तथा खेल–कूद, जलपान गृह, स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुविधाएं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्णित लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक 'कामन रूम' तथा पृथक छात्रावास;

3.1.10 भाषण/संगोष्ठि कक्षों, प्रयोगशालाओं, ग्रंथालय, संकाय कक्षों तथा प्रशासनिक स्टॉफ सहित प्राचार्य के कक्षों के लिए और बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स/प्रेक्षागृह, सामान्य कक्षों तथा छात्रवास कक्षों एवं अन्य सुविधाओं के लिए उपयुक्त फर्नीचर;

3.1.11 विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट एक यथोचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय।

3.2 यदि कालेज राज्य सरकार द्वारा न चलाया जा रहा हो, तो

3.2.1 इसका प्रबंधन यथोचित रूप से गठित तथा पंजीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा किया जाएगा;

3.2.2 यह विश्वविद्यालय को संतुष्ट करेगा कि कालेज को कम से कम तीन वर्षों तक बिना किसी सहायता या बाहरी स्रोत के चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध है। विशिष्ट रूप से, 15 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम की अप्रतिसंहरणीय सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से कालेज के नाम पर स्थायी कायिक निधि के सृजन तथा उसके रख–रखाव का

साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, यदि कालेज का प्रस्ताव केवल मानविकी, विज्ञान तथा वाणिज्य में कार्यक्रम चलाने का है तो जैसाकि संगत सांविधिक/विनियामक निकाय में विहित है अथवा 35 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम, यदि इसका पेशेवर कार्यक्रम की पेशकश करने का विचार है तो इसी राशि की न्यूनतम तीन वर्षों की 'लॉक इन' अवधि की सावधि जमा जो कालेज तथा विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त नाम पर होनी चाहिए, करवायी जानी चाहिए। इससे प्राप्त ब्याज का कालेज द्वारा अपनी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से उपयोग किया जा सकता है,

3.2.3 कालेज विश्वविद्यालय को एक वचन भी देगा कि इसके पास सतत् और कार्यकुशल ढंग से कार्य करने के लिए इसके अपने स्रोतों से पर्याप्त आवृत्ति आय है।

3.3 पंजीकृत सोसायटियों/न्यास को न्यायोचित अपवाद स्वरूप मामलों में इस शर्त के अध्यधीन मौजूदा उपलब्ध इमारत में प्रथम वर्ष के कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी जा सकती है कि उसके द्वारा सभी अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को विनियम के तहत् पूरा किया गया है तथा कालेज पैरा 4.4.6 तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दी गई अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप द्वितीय वर्ष के अंत तक भवन निर्माण पूरा कर लेगा तथा तृतीय वर्ष के आरंभ तक कालेज को प्रस्तावित स्थायी भवन में पूरी तरह स्थानांतरित हो जाएगा, ऐसा न होने पर कालेज की अस्थायी सम्बद्धता का नवीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि कालेज स्थायी भवन में स्थानांतरित नहीं हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी भवन में स्थानांतरण हेतु 5 वर्ष से अधिक का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

3.4 किसी कालेज का प्रस्ताव करने वाली पंजीकृत सोसायटी/न्यास एक बंधपत्र का निष्पादन करेगा :–

3.4.1 केवल उन विषयों को पढ़ाया जाएगा तथा केवल उन्हीं संकायों में केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को चलाया जाएगा जिनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा उसे सम्बद्ध किया गया है तथा वह भूतलक्षी प्रभाव से सम्बद्धक की मांग नहीं करेगा और ऐसे सभी पाठ्यक्रमो/कार्यक्रमो के लिए विश्वविद्यालय के समुचित शैक्षणिक निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्य विवरण का अनुपालन किया जाएगा।

3.4.2 अधिनियम के सभी उपबंधों परिनियमों तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के सभी अध्यादेश, नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाएगा।

3.4.3 समय–समय पर सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा जारी नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का पालन करना।

3.4.4. इस प्रभाव तक कि वि.अ.आ. द्वारा यथा विहित शिक्षण पदों की संख्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया तथा सेवाशर्तें, विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/वि.अ. आ. के परिनियमों/अध्यादेश/विनियमों के अनुरूप होगी तथा कालेज द्वारा आरंभ किए

Contd.

जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में छात्रों का पर्याप्त शिक्षण सुनिश्चित करेगा तथा कालेज में छात्र–शिक्षक अनुपात वि.अ.आ. मानदण्डों के अनुसार होगा:

3.4.5 इस प्रभाव तक कि शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टॉफ को नियमित रूप से वि.अ.आ. /केन्द्र/राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय–समय पर विहित वेतनमान का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा।

3.4.6 इस प्रभाव तक कि शिक्षण व गैर शिक्षा स्टॉफ के सदस्यों की नियुक्ति केवल उनके लिए विहित योग्यता तथा अनुभव को आधार मानते हुए ध्यान में रखकर की जाएगी, न कि किसी दान या किसी से मांग करके या उसे स्वीकार करके या किसी अन्य विचार को ध्यान में रखकर की जाएगी।

3.4.7 इस प्रभाव तक कि कालेज को सम्बद्धन प्रदान किए जाने के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से नियुक्त किए गए शिक्षकों पर अर्हता संबधी अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा शिक्षण स्टॉफ में सभी परिवर्तन तथा ऐसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, जोकि विश्वविद्यालय को सम्बद्धन प्रदान की जाने वाली शर्तों की पूर्णता को प्रभावित करता हो, एक पखवाड़े के भीतर सूचित करेगा।

3.4.8 इस प्रभाव तक कि छात्रों पर प्रभारित किए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, समय–समय पर वि.अ.आ. के मानदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शुल्क ढांचे के अनुसार ही होंगे।

3.4.9 इस प्रभाव तक कि कालेज, वि.अ.आ. द्वारा मानदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा अनुमोदित विहित शुल्क तथा अन्य प्रभारों के अलावा अपने छात्रों तथा उनके अभिभावकों/संरक्षक द्वारा तथा उनकी ओर से कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) या दान एकत्रित नहीं करेगा जिससे भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता है।

3.4.10 इस प्रभाव तक कि कोई भी कालेज किसी भी छात्र को सम्बद्धता प्राप्त होने की प्रत्याशा में किसी अध्ययन कार्यक्रम में दाखिला नहीं देगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के प्रति कार्यक्रम हेतु संस्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक दाखिल नहीं करेगा।

3.4.11 इस प्रभाव तक कि कालेज विश्वविद्यालय की पिछली अनुमति के बिना, पहले से ही अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को समाप्त नहीं होगा।

3.4.12 इस प्रभाव तक कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित वर्गों, जहां कहीं भी लागू हो, के छात्रों के लिए शैक्षणिक तथा कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर कालेज द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

3.4.13 इस प्रभाव तक कि वि.अ.आ./विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा विनियामकों/आदेशों के तहत् रखरखाव किए जाने वाले लेखों के लेखापरीक्षित विवरण सहित सभी रजिस्टरों तथा अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा कभी भी निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

3.4.14 इस प्रभाव तक कि कालेज, इस प्रकार की सभी विवरणिकाओं तथा अन्य सूचनाओं को वि. अ.आ./विश्वविद्यालयों/सरकार को उपलब्ध कराएगा ताकि शैक्षणिक स्तर को बनाए

रखने के संबंध में कालेज के निष्पादन की निगरानी करने तथा मूल्यांकन करने हेतु वि.अ.आ./विश्वविद्यालय/सरकार को सक्षम बनाया जा सके तथा इस स्तर को बनाए रखने के लिए वि.अ.आ./विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जायेंगे, उसे बनाए रखने के लिए सभी कार्यवाहियां करेगा।

4 अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया

4.1 नए कालेज को आरंभ करने के लिए तथा इसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिए आवेदन को केन्द्रीय/राज्य सरकार संस्थान तथा पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.2 यदि आवेदक एक सोसायटी/न्यास है, तो यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत् या न्यास अधिनियम अथवा कोई भी अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम के तहत आवेदन के प्रस्तुतिकरण की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना चाहिए।

4.3 सरकार/सोसायटी/न्यास, जिसका कालेज आरंभ करने का प्रस्ताव है तथा जो अपने आपको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना चाहता है और जिसके क्षेत्राधिकार में कालेज पड़ता है वह विनिर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय को विहित प्रारूप में विश्वविद्यालय के कुल–सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट में विहित शुल्क के साथ आवेदन करना चाहिए।

4.4. आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ जमा किया जाना चाहिए:–

4.4.1 सोसायटी/न्यास का पंजीकरण तथा फर्म का गठन और संगम ज्ञापन के ब्यौरे सहित;

4.4.2 भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र

4.4.3 संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षन प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र;

4.4.4 आवेदक के नाम में पंजीकृत भूमि/सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज;

4.4.5 सरकार द्वारा कालेज आरंभ करने के लिए सोसायटी/न्यास को दी गई अनुमति संबंधी आदेश साथ ही आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का ब्यौरा।

4.4.6 पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया तथा संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा;

4.4.7 प्रस्तावित कालेज के लिए पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा पंजीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित कालेज के लिए भूमि को चिन्हित किया गया हो;

4.4.8 खंड 3.2.2 के तहत यथा विनिर्दिष्ट चिन्हित कायिक निधि के साक्ष्य के साथ निधियों की अद्यतन स्थिति तथा संगत बैंक खातों की ब्यौरा।

4.4.9 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जिसमें निम्नवत् ब्यौरा दिया गया है–

(क) शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने, प्रबंधन तथा प्रचालन में इसके अनुभव सहित सोसायटी/न्यास की पृष्ठभूमि; इसके संप्रवर्तकों तथा उनकी पृष्ठभूमि का ब्यौरा इसके आरंभ होने से सामाजिक धर्मार्थ तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसकी गतिविधियां तथा इसका दृष्टिकोण और मिशन क्या है;

(ख)समय–वार कालेज की विकास योजना, जिसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों के चरणबद्ध रूप से चलाने, छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों/अनुसंधान आरंभ किए जाने के संबंध में पहले 10 वर्षों के दौरान इसकी विकास योजना को दर्शाया गया हो, तथा शैक्षणिक अवसंरचना जैसे संकाय की नियुक्ति तथा अन्य सहायक सुविधाओं जिसमें छात्र सुविधाएं, जैसे छात्रावास, खेलकूद तथा मनोरंजनात्मक सुविधाएं शामिल है, के विकास के लिए स्तर–वार समय अनुसूची।

(ग) भूमि उपयोग पैटर्न तथा भावी पैटर्न को दर्शाते हुए वास्तुकलात्मक मास्टर प्लान;

(घ) संकाय नियुक्ति, उन्हें नौकरी पर बनाए रखने तथा विकास के संबंध में नीति;

(ङ) शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन का ढांचा;

(च) छात्रों द्वारा शुल्क के माध्यम से सृजित निधियों के अलावा पूँजी के वित्तपोषण तथा प्रचालनात्मक व्यय का स्रोत; और

(छ) संसाधन संबंधी अनुमान तथा उपयोग अनुसूची।

4.5 विश्वविद्यालय आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा करेगा तथा संतोषजनक पाए जाने पर और आवेदन प्राप्त होने से दो सप्ताह के भीतर आशय का पत्र जारी करेगा ताकि अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु सभी आवश्यकताओं के वास्तविक सत्यापन के लिए तीन माह की अवधि के भीतर निरीक्षण किया जा सके।

4.6 कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय कालेज का निरीक्षण कराएगा जिसमें निम्नवत् शामिल होंगे:–

4.6.1 प्रत्येक प्रस्तावित क्षेत्र के विषय के लिए एक विशेषज्ञ;

4.6.2 कालेज विकास परिषद् का डीन/विश्वविद्यालय का समकक्ष शिक्षाविद्,

4.6.3 सरकार के उच्च शिक्षा विकास का एक प्रतिनिधि जोकि उपनिदेशक के स्तर से नीचे का न हो; और

4.6.4 कुलपति द्वारा यथा नामित किसी भी एक विषय का विशेषज्ञ जोकि प्रोफेसर के स्तर का हो, समिति का अध्यक्ष होगा।

4.7 अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण समिति रिपोर्ट विधिवत् रूप से भर कर तथा सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अपने उचित निकायों के माध्यम से रिपोर्ट संसाधित करेगा तथा कालेज को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने या न करने का निर्णय लेगा, तथा निरीक्षण के तीन माह के भीतर अपने निर्णय के कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।

4.8 कालेज में उपलब्ध अवसंरचनात्मक एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर विश्वविद्यालय कालेज में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के संबंध में निर्णय लेगा।

4.9* विश्वविद्यालय संघ/कार्यकारी परिषद् की सम्बद्धता को प्रदान अथवा प्रदान न करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

4.10 कालेज के अध्ययन कार्यक्रम को जारी रखने के संबंध में अस्थायी सम्बद्धता स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर इन विनियमों में उपबंधित निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

Contd.

4.11 यदि विश्वविद्यालय किसी कारण के चलते कालेज को सम्बद्धता प्रदान नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह सम्बद्धता प्राप्त करने के संबंध में शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करने में असफलता को लिखित में दर्ज करेगा, यदि बाद में कालेज शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करता है तो वह पुनः आवेदन कर सकता है, परन्तु यह पूर्व के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की तिथि से छह माह तक आवेदन नहीं कर सकता है।

5. **स्थायी सम्बद्धता के लिए पात्रता मानदण्ड**

5.1 कालेज को समय-समय पर विश्वविद्यालय/वि.अ.आ./सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर बनाए रखते हुए तथा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त किए हुए संतोषजनक निष्पादन के कम से कम पांच वर्ष पूरे कर लिए जाने चाहिए।

5.2 कालेज द्वारा विनियमों में निर्धारित भवनों का निर्माण कार्य तथा सभी अवसंरचनात्क/सुविधाएं पूरी कर ली जानी चाहिए।

5.3 सभी शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक स्टॉफ को वि.अ.आ./सरकारी वेतनमानों पर स्थायी आधार (सरकारी कालेज के मामले में नियमित आधार पर नियुक्त) पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

5.4 कालेज में मानदण्डों के अनुसार विधिवत रूप से गठित कालेज परिषद् होनी चाहिए।

5.5* ऐसे महाविद्यालय को राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं प्रमाणन समिति (NAAC) अथवा अन्य किसी सांविधिक प्रत्यायन अभिकरण राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायित किया जाएगा।

6 **स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया**

6.1 जो कालेज स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करना चाहता हो, उसे अस्थायी सम्बद्धता के पांच वर्ष पूरे करने पर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क सहित प्रारूप में आवेदन करना चाहिए।

6.2 स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, विनियमों में दी गई अस्थायी सम्द्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया जैसी ही होगी।

6.3 यदि विश्वविद्यालय कालेज को स्थायी सम्बद्धता प्रदान न किए जाने का निर्णय लेता है, तो इस प्रकार की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए शर्तों/अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा, तत्पश्चात् यदि कालेज शर्तों/अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो कालेज पूर्व में किए गए आवेदन की अस्वीकृति की तिथि से छह माह पश्चात् पुनः आवेदन कर सकता है।

7. **अध्ययन के नए कार्यक्रमों को जोड़ने हेतु आवेदन करने की पात्रता**

7.1 विश्वविद्यालय द्वारा नया कार्यक्रम जोड़ने के किसी भी प्रस्ताव पर केवल उच्च शिक्षा हेतु सुविधाओं का समान वितरण सुनिश्चित करने के बाद ही विचार किया जाएगा, ऐसा विशेष रूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे क्षेत्र जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है, अविकसित, ग्रामीण, पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देने के बाद ही किया जाएगा।

7.2 मौजूदा स्नातकपूर्व कालेज के स्तर को स्नातकोत्तर स्तर तक बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकपूर्व कार्यक्रम के संतोषजनक ढंग से पूरा किए जाने के बाद तथा विनियम के अनुसार प्रस्तावित भवन, योग्य संकाय तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पूर्ण रूप से सृजन किए जाने के उपरांत ही विचार किया जायेगा।

7.3 नया कार्यक्रम जोड़ने के लिए अथवा मौजूदा कार्यक्रम का स्नातकोत्तर स्तर तक उन्नयन करने के प्रत्येक आवेदन के साथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क भी साथ लगा होना चाहिए।

Contd.

7.4 अध्ययन के अतिरिक्त कार्यक्रम हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने तथा कालेज में मौजूद कार्यक्रम के उन्नयन के लिए प्रक्रिया, अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विनियमों में विहित प्रक्रिया के समान ही होगी।

8 सम्बद्धता समाप्त करना

8.1 यदि जांच करने पर कालेज, अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के उपबंधों या नियमों और विनियमों अथवा वि.अ.आ./विश्वविद्यालय/सांविधिक/संबधित विनियामक निकाय के अन्य निर्देशों या अनुदेशों का पालन करने में असफल सिद्ध होता है अथवा सम्बद्धता किसी शर्त का पालन करने में असफल होता है या इस प्रकार आचरण करता है जोकि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर तथा विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तो सम्बद्धता के माध्यम से कालेज को प्रदान किए विशेषाधिकार को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है या उसमें आशोधन किया जा सकता है।

8.2 यदि कोई सम्बद्ध कालेज करना बंद कर देता है अथवा किसी विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के वह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है या किसी पृथक समाज, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के पास हस्तांतरित हो जाता है तो कालेज को प्रदत्त सम्बद्धता इस प्रकार की अस्तित्वहीनता, स्थानांतरण पर हस्तांतरण, जैसा भी मामला हो, स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा इसे भावी सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ नया कालेज माना जाएगा। विश्वविद्यालय/सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की उचित पद्धति से अपने निर्णयानुसार रक्षा करे।

8.3 विनियमों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, आयोग स्वतः या किसी अन्य सूचना या किसी स्रोत द्वारा रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कालेज की जांच करवा सकता है तथा कालेज को सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान कर, वि.अ.आ. अधिनियम की धारा (12 क) (4) के तहत इस प्रकार के कालेज को इस प्रकार के विर्निदिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चलाने तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री प्रदान किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर सकता है और कालेज की सम्बद्धता वि.अ.आ. अधिनियम की धारा (12 क), (5) के तहत समाप्त मानी जाएगी।

8.4 अगर विश्वविद्यालय कालेज की सम्बद्धता को वापस लेने के निर्णय लेता है अथवा विश्वविद्यालय के आदेश से सम्बद्धता अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का निर्णय कालेज के छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा जोकि आदेश जारी किए जाने के समय इसमें अध्ययनरत् थे जब तक कि वे कार्यक्रम की सामान्य अवधि के तहत् कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर जाते, जिसमें उन्होंने उस समय पंजीकरण करवाया था। विश्वविद्यालय/सरकार यह कर्तव्य होगा कि वे उचित ढंग से अपने निर्णयानुसार प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करे।

9 ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने अवमानक महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की है अथवा ऐसे विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों पर जो आयोग द्वारा निर्धारित नियमनों का अनुपालन करने में असमर्थ रहे हैं उन पर दण्ड का प्रावधान

9.1 यदि कोई विश्वविद्यालय किसी कालेज को सम्बद्धता प्रदान करता है जो विनियमों के अनुसार सम्बद्धता की शर्तों/आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते है या अगर विश्वविद्यालय,

वि.अ.आ. अधिनियम के संगत उपबंधों का उल्लंघन कर सम्बद्धता प्रदान करता है तो आयोग ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझता हो जिसमें विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान को बंद करना तथा/अथवा आयोग द्वारा वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत अनुरक्षित सूची से विश्वविद्यालय का नाम हटाना शामिल है।

9.2* कोई भी ऐसा महाविद्यालय जिसे अनुच्छेद 2 (एफ) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, जो अनुच्छेद 12(बी) अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त कर रहा है, ऐसा महाविद्यालय यदि विभिन्न नियमनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसी दशा में आयोग कोई भी उचित कार्रवाई करेगा जिसमें विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान को रोका जाएगा अथवा उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों की सूची में से, जो अनुच्छेद 2 (एफ) एवं/अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 12(बी) के अन्तर्गत है, उस महाविद्यालय का नाम हटा दिया जाएगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्र. 8482 /अका./2012 रायपुर, दिनांक: 25/09/2012

प्रतिलिपि :

01. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर ।
02. सचिव, उच्च शिक्षा छ.ग. शासन, मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
04. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
05. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
06. समस्त विभागीय अधिकारी,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

24/9/12

प्रभारी अधिकारी (अका.)

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता)(प्रथम संशोधन) विनियम 2012

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3586 /अका./2011 रायपुर, दिनांक: 27/05/2011

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति, विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् की बैठक क्रमशः दिनांक 18.04.2011, 23.04.2011 एवं 29.04.2011 में निम्नांकित "विनियम" का अनुमोदन किया गया है।

Regulation No. 130
Staff Council
(E.C. Dated 29-04-2011)
(U/S section 24 (xiv) of Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam-1973)

1. **Title:** constitution and function of Staff Council
2. **Definition:** There shall be ***Staff Council*** in every School of Study/ Institute existing on the campus of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur,
3. **Composition:** All members of the **regular** teaching staff shall constitute the Staff Council.
4. Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances of the University, the HoD shall act as Chairperson-in-council in respect of matters on which Staff Council is required to take decisions.
   - i. The HoD shall be the ex-officio Chairman of the Staff Council.
   - ii. The council Shall elect its Secretary (from among its members), who shall hold office for a term of one year. The Secretary may be re-elected for a second term but no person shall hold office of the Secretary for more than two consecutive terms.
   - iii. The Staff Council shall meet every month under the chairmanship of the HoD, Preferably in the last week, serving a notice to the members at least before 24 hours.
   - iv. Minimum three members (including the Chairperson) shall be required to form the quorum of the meeting.
   - **v. If the number of regular teaching staff is less than three in any School/Institute, members from allied subjects/adjacent departments will be co-opted in the Staff Council with the sanction of the Vice-Chancellor.**
   - vi. All proceedings of the Staff Council shall be recorded in a Staff Council Register, under the direction of the Secretary, Staff Council.
5. (a) Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances of the University, the Staff Council shall take decisions in respect of the following matters:
   - i. Organizing admission of students.
   - ii. Preparation of time-table.
   - iii. Allocation of **curricular and** extra-curricular work of teachers not involving payment of remuneration.
   - iv. Organizing extra-curricular activities, including cultural activities of students, sports, games, and academic societies.
   - v. Preparation of annual budget & Annual verification of stock.
   - vi. Monitoring of continuous assessment of students and Collection of feedback from students, parents, alumni & employers.
   - vii. Preparation of Resource Persons list, Alumni list and Organization of Alumni Meet annually.
   - viii. Maintenance of the Departmental Activity Register (DAR) (in both hard and soft copies), in order to prepare monthly data for IQAC in the format specified in the API Score, Appendix-III, Table-1 of Ordinance-4.

...2

(b) Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances of the University, the Staff Council shall make recommendations

i. Formulation of recommendations on introduction of new teaching posts in the School/Institute and expansion of the existing School/Institute with reference to academic activities;
ii. Formulation of admission policy within the framework of the policy laid down by the University;
iii. Formulation of guide-lines regarding arrangements for the residence and welfare of students in consultation with appropriate authority and students' organizations;
iv. Formulation of guidelines regarding discipline of the students;
v. Formulation of policies for recommending names of teachers for participation in seminars and conferences and financial assistance to teachers.
vi. Formulation of guidelines and policies for other departmental Committees & Cell, such as Grievance Redress Cell, Anti-Ragging Cell, DPC, and DRC, constituted in accordance with the respective Acts, Statutes, Ordinances, and Regulations of the University.

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 3587/अका./2011 रायपुर, दिनांक :27/05/2011

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.) ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर ।
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/ प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) ।
7. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. /अका./2011 रायपुर, दिनांक 27/05/2011

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् की बैठक क्रमशः दिनांक 23.04.2011 एवं 29.04.2011 में निम्नांकित "विनियम" का अनुमोदन किया गया है।

विनियम क्र. 131

विभागीय शोध समिति (D.R.C.)

(E.C. Dated 29-04-2011)

The Academic Council in its meeting held on April 23, 2011 in Sir C.V. Raman Hall, Science Block at 2.30 p.m. approved the following modified version of the minutes of the Standing Committee meeting held on April 18 & 20, 2011 in the chamber of the Vice Chancellor.

The Committee has finalized the roles of DRC as outlined below:

1.	Constitution of DRC:	It will be constituted according to provisions of the Ordinance 45(2)
2.	Role and responsibility of DRC:	1. To prepare the list of eligible candidates. 2. To call all the eligible candidates (exempted category and those eligible through the written test for personal interview with prescribed proforma dully signed by the candidate and the proposed guide. 3. To provide all the eligible candidates with the list of guides along with available research seats with the guide, subject wise.

3. Written test will be conducted by the University and admission of eligible candidates for subject concern will be finalized by the DRC of the concerned subject on the basis of interview.
4. Admission of the eligible candidates for Ph.D. course/Registration will be decided on the basis of
   (i) mutual consent of the candidate and the guide as prescribed in the ordinance 45(4)
   and (ii) the performance of the candidate before the DRC committee.
5. Reservation policy of the state government will be applicable for admission of students in Ph.D. program in each subject.
6. Eligibility of the candidate passed in the Ph.D. Entrance Examination will remain valid for two consecutive academic sessions only.
7. In case of any dispute, decision of the V.C. will be final.

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 3589/अका./2011 रायपुर, दिनांक 27/05/2011

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/ प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

D:/ shi 08/tikaram08/186

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक :3961 /अका./2011 रायपुर, दिनांक :30/06/2011

।। अधिसूचना ।।

दानदाता डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय के द्वारा अपने स्वर्गीय पुत्र **डॉ. प्रदीप पाण्डेय** की स्मृति में, स्वर्ण पदक की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2011 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2010–11 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पात्र अभ्यर्थी को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक की स्थापना निम्नानुसार की गई है –

Regulation No. 132
(E.C. Under - 04-06-2011)
DR. PRADEEP PANDEY MEMORIAL GOLD MEDAL

Doner	-	**Dr. Mahadeo Prasad Pandey** **Brahman Para, Raipur (C.G.)** **Mob. No. - 93005-32060**
Value of Endowment	-	**Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)**
Award	-	**One Gold Medal**

1. The Endowment shall be called "Dr. Pradeep Pandey Memorial, Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the examinee securing highest aggregate marks but not lower than 60% of total aggregate marks of M.B.B.S. Final Surgery Examination in first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.
4. The award of Gold Medal shall commence for M.B.B.S. Final Surgery examination 2011.

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक :3962 /अका./2011 रायपुर, दिनांक :30/06/2011

प्रतिलिपि :

01. डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय, ब्राम्हण पारा, रायपुर (छ.ग.)
02. प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
03. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
04. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

D:/ shi 08/tikaram08/197

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 5041 /अका./2011 रायपुर, दिनांक : 8 /10/2011

।। अधिसूचना ।।

दानदाता श्री कोमल प्रसाद राठौर के द्वारा अपने स्वर्गीय पुत्र **अमिताभ राठौर** की स्मृति में स्वर्ण पदक की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.08.2011 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.09.2011 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2010–11 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पात्र अभ्यर्थी को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक 133 की स्थापना निम्नानुसार की गई है –

Regulation No. 133

(E.C. Under 12-09-2011)

AMITABH RATHORE MEMORIAL GOLD MEDAL

Donor	-	Komal Prasad Rathore, Janheet Chouk, Kota, Raipur Mob. No. - 93030-04953
Value of Endowment	-	Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only) B.No./R.No. 3256/30 Dated- 27-06-2011
Award	-	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called **"Amitabh Rathore Memorial Gold Medal"** and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secures highest percentage of marks in M.Sc. Physics Examination of the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, one who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक : 5042/अका./2011 रायपुर, दिनांक : 8 /10/2011

प्रतिलिपि :

01 श्री कोमल प्रसाद राठौर, जनहित चौक, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
02. प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/अध्यक्ष, भौतिकी अध्ययनशाला,
03. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
04. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

D./ shi 08/tikaram08/233